

नेहा पूनिया
शोधकर्ता, राजनीति विज्ञान
पंजीकरण संख्या: 17219009
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय
विद्या नगरी, झुन्धुनं, राजस्थान-333001

डॉ० जुलफीकार,
शोध निर्देशक, राजनीति विज्ञान विभाग
एसीसटैन्ट प्रोफेसर
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल
विश्वविद्यालय, विद्या नगरी,
झुन्धुनं, राजस्थान-333001

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY A GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARIES , THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE.(COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता

सार

भारतीय संविधान का जन्म अनेक उदात्त आदर्शों से हुआ था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक नया राष्ट्रीय नागरिक तैयार करना था। एक मुखर एवं जीवन्त लोकतंत्र की पृष्ठभूमि में संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्ष भारत का सपना देखा था। संविधान निर्माताओं ने पंथनिरपेक्षता को व्यावहारिकता का तकाजा माना था, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय पंथनिरपेक्षता व्यवहार के स्तर पर दलीय जोड़-तोड़, राजनीतिक तुष्टीकरण, अवसरवादिता एवं साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण से ग्रस्त रही है। पंथनिरपेक्षता के लिए भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद साम्प्रदायिक संघर्ष एवं कट्टरता ने सामाजिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय सद्भाव को विच्छिन्न किया है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। भारतीय संविधान में जो पंथनिरपेक्षता की प्रकृति स्वीकार की गई है वह वस्तुतः धर्म के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। राज्य से यह आशा की जाती है कि वह नागरिकों के साथ केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

कीवर्ड: पंथ, निरपेक्षता

परिचय

नेहरूजी के शासनकाल के दौरान प्रायः यह कोशिश दिखाई पड़ती थी कि राज्य और धर्म के बीच दूरी बनी रहनी चाहिए, हालांकि इस समय भी राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद सहित कई लोग इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के पक्षधर थे। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी प्रायः यही धारणा बनी रही और शायद इसी का असर था कि पंजाब की समस्या के समाधान के लिये स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने जैसा कठोर फैसला कर सकी। बाद की सरकार का रुझान कुछ दुलमुल किस्म का रहा। विशेष रूप से 1967 के समय से ही धार्मिक समूह वोट बैंक के रूप में उभरे और विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने-अपने धार्मिक समूहों को लामबंद करना शुरू किया। इन दबाव समूहों की भूमिका जैसे-जैसे बढ़ी भारतीय राज्य का चरित्र विभिन्न धर्मों में संतुलन करने की और बढ़ने लगा।

राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में शाहबानों मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रगतिशील फैसले को पलट दिया तो उससे हिंदुओं में उत्पन्न हुई नाराजगी को दूर करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। भाजपा की सरकार तो इसी चुनावी वायदे पर बनी किवह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले हिंदुस्तान को एक देश और एक उप महाद्वीप के रूप में मान्यता दी गई थी। जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, तब पूरे संविधान की एक मौलिक विशेषता उत्पन्न हुई थी जिसे धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। यदि हम संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख करते हैं, तो यह प्रस्तावना की भाषा में ही स्पष्ट है और इसकी अवधारणा और सामग्री में बहुत स्पष्ट है, भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवादी, संप्रभु गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। स्वतंत्र भारत द्वारा 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया संविधान की प्रस्तावना (26 जनवरी, 1950 से प्रभावी) ने भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। 1976 में 42 वें संशोधन तक, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था, हालांकि धर्मनिरपेक्षता की भावना संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में स्पष्ट है। हालांकि संविधान सभा में संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विशिष्ट उल्लेख करने के प्रयास किए गए थे। ड्राफ्ट संविधान पर चर्चा के दौरान, कटी शाह और कामथ ने संविधान में शामिल निम्नलिखित प्रावधानों को प्राप्त करने का प्रयास किया। भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म, पंथ या आस्था के पेशे से कोई सरोकार नहीं रखेगा और संघ 1 के किसी भी वर्ग या अन्य व्यक्ति के धर्म से संबंधित सभी मामलों में पूर्ण तटस्थता के दृष्टिकोण का पालन करेगा।

राज्य किसी विशेष धर्म की स्थापना, समर्थन या संरक्षण नहीं करेगा। हालाँकि, संघ 2 के नागरिकों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण या निर्देश देने से कुछ भी नहीं होगा। हालाँकि इस तरह के सभी संशोधन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था? 3 जिस कारण से धर्मनिरपेक्ष शब्द को अपनाया गया संविधान में नहीं था, इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि हमारी राष्ट्रीय संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा है कि यह वास्तुकारों के लिए भी नहीं था। संविधान है कि वे विशेष रूप से इसे अपने लंबवत सिद्धांत 4 में से एक के रूप में उल्लेख करना चाहिए। 1940 के दशक में एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता को प्रमुखता मिली, क्योंकि मुस्लिम लीग धार्मिक और संस्कृति के आधार पर मुस्लिमों के लिए एक अलग घर की मांग करती है। कांग्रेस पार्टी ने भारत की धर्मनिरपेक्षता की धार्मिक परंपरा की ओर संकेत करते हुए मांग पर आपत्ति जताई, धर्मनिरपेक्षता में अपने विश्वास की पुष्टि की। कांग्रेस ने कहा कि उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धर्म का दुरुपयोग करने पर विचार नहीं किया, बल्कि धर्म को निजी क्षेत्र में सीमित करने में विश्वास किया। यह विश्वास दिलाता था कि उपनिवेशवादी राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इस प्रकार कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता का आह्वान किया मुस्लिम लीग 5 की सांप्रदायिकता से अपनी राजनीति को अलग करने के लिए। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन से पहले और यहां तक कि बाल गंगाधर तिलक और यहां तक कि महात्मा गांधी जैसे भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट करने के लिए धर्म और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया।

धर्मनिरपेक्षता का सवाल भावनाओं का नहीं बल्कि कानून का एक है। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी धर्म को स्थापित चर्च के रूप में कुछ अन्य संविधान करते हैं। राज्य का कोई धर्म नहीं है, न ही यह किसी भी धार्मिक हठधर्मिता का समर्थन करेगा, न कि किसी भी प्रकार का धर्म, यह किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है और न ही राज्य संरचना और शिक्षा किसी भी धार्मिक संरचना पर आधारित नहीं है। भारत के संविधान का सार धार्मिक नहीं सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। संविधान, जैसे कि किसी भी धर्म का विरोध नहीं है, या किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है। यह अपने चरित्र में पूरी तरह से और पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। दूसरी ओर, हमारा संविधान, कला में, 25 प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक विश्वासों, जो कि एक व्यक्ति का पालन कर रहा है, को अपनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार केवल एक संवैधानिक अधिकार है। जो निरपेक्ष नहीं है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और संविधान के भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन है, जैसे

पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के रूप में मान्यता दी गई है, और नेपाल को हिंदू धार्मिक राज्य के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन भारत का वर्णन नहीं है राज्य के रूप में किसी भी धर्म के हैं।

भारत एक बहुभाषी और बहु धार्मिक राज्य के रूप में, असंख्य विश्वासों को स्वीकार करता है। मुद्दा यह है कि राज्य की धर्म के मामले में कोई भूमिका नहीं है। भारत एक बहुभाषी, बहु सांस्कृतिक, बहु धार्मिक देश है। इसलिए, प्रशासन के मामले में, शासन और न्यायिक धर्म में कोई भूमिका नहीं है। धर्म नागरिक समाजों का एक अभिन्न अंग है, इसका महत्व व्यक्ति और समाज दोनों को सार्वभौमिक रूप से माना गया है। यहां तक कि जिन देशों में विरोधी ईश्वर विरोधी और धर्म विरोधी विचारधारा है, उन्होंने धर्म का अधिकार अपने गठन में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया है, हालांकि, इस अधिकार का आकार और संरचना देश-देश में उनके सामाजिक- सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करता है। विशेष रूप से राज्य की संवैधानिक विचारधारा पर। वर्तमान अध्ययन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के वैचारिक दृष्टिकोण से भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों की जांच करने का एक प्रयास है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का वर्तमान परिदृश्य वास्तव में चिंता का कारण है। आज, भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खतरे में माना जाता है। अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में बाबरी मस्जिद की अनदेखी के कारण मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा दंगे और हत्याएं हुईं। गोधरा (गुजरात) में निर्दोष हिंदुओं के हालिया नरसंहारों, जो कि अयोध्या में हिंदुत्व समर्थकों के खिलाफ मुस्लिम आक्रोश को सुलझाते हुए प्रज्वलित किए गए थे, ने टाइट-फॉर-टेट हत्याओं में समान रूप से निर्दोष मुसलमानों के बड़े नरसंहार को छुआ था, जो अब तक आगे चल रही अस्मिता है।

धार्मिक राज्य पहले धर्मनिरपेक्षता के माहौल में गुजरात राज्य में रहते थे। इनके अलावा, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिखों के खिलाफ 1984 के अकथनीय अत्याचार और ईसाई मिशनरियों पर मुकदमा चलाने की एक सामयिक हत्या स्पष्ट रूप से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करती है, इसके अलावा, भारतीय राजनीति में धार्मिक जुनून और जाति की वफादारी की घुसपैठ भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य होने के दावे पर गंभीर संदेह जताती है। यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के बदलते रुझानों से भी उजागर होता है, जिसे भारत में संवैधानिकता का संरक्षक माना जाता है। सरदार ताहिरुद्दीन सैयदना साहेब बनाम भारत के बंबई राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार इस मामले में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाया, जिसमें अय्यंगार, जे। ने समझायारू लेख 25 और 26 धार्मिक भोगवाद का सिद्धांत है। इतिहास की शुरुआत से भारतीय सभ्यता की विशिष्ट विशेषता रही है। ऐसे उदाहरण और अवधियाँ जब यह सुविधा अनुपस्थित थी, महज अपभ्रंश थी। इसके अलावा, वे भारतीय लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर जोर देने के लिए काम करते हैं जिसे संस्थापक पिता बहुत आधार मानते थे। संविधान का। धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरे का संभावित कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर धार्मिक उथल-पुथल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 9/11 के बाद के प्रभाव ने, दुनिया भर में धार्मिक कट्टरवाद के उदय के कारण, जो धार्मिक कट्टरता में खुद को विकसित किया है, शायद इस तथ्य के बावजूद कि एक विशेष धर्म से बाहर एकल , इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम मुट्टी भर लोगों द्वारा किया गया था।

शोध के उद्देश्य

1. पाश्चात्य व भारतीय पंथनिरपेक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. पंथनिरपेक्षता का संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति

भारतीय धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों के लिए समान श्रद्धा के अर्थ में, 26 जनवरी 1950 को पैदा नहीं हुई थी, 26 जनवरी 1950 को इसका इतिहास शुरू नहीं हुआ था। यह संविधान, स्वतंत्रता आंदोलन, मोगल्स, तुर्क, मॉरी के रूप में सामने आया। और अशोक का। यह भारत के ज्ञात और लिखित इतिहास से पहले का है। यह इस देश के आध्यात्मिक विश्वास का हिस्सा है जैसा कि वेदों और उपनिषदों में व्यक्त किया गया है जिनकी तिथियां आज भी अनुमानित हैं। धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र हिंदू परंपरा नहीं है। अशोक महान के अलावा किसी भी राजा ने इस देश में राज्य धर्म घोषित नहीं किया। लेकिन अशोक को अभी भी शांति और सहिष्णुता का मॉडल माना जाता है। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने या सब्सिडी देने वाले भारतीय राज्य के खिलाफ पूजा और निषेधाज्ञा की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान संविधान का निर्माण नहीं है, बल्कि भारतीय दिमाग के सदियों के सामंजस्यपूर्ण कार्य का उत्पाद है जो अनिवार्य रूप से और बड़े पैमाने पर हिंदू प्रतिभा है। भारत के संविधान ने केवल हिंदुओं के विश्वास और दृढ़ विश्वास को दर्ज किया कि प्रत्येक धर्म पवित्र है और किसी भी धर्म या धर्म के चयन या उन्मूलन की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि एक गैर-आस्तिक की आत्मा भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि वफादार।

यह हिंदू दृष्टिकोण पर आधारित है कि प्रत्येक जीव पवित्र है। तो यह हिंदू मानस है जो सभी धर्मों के लिए समानता की गारंटी देता है न कि भारत के संविधान के प्रावधानों का। हिन्दू मानस ने भारत में आये अन्य धर्मों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त की जो इस्लाम और ईसाइयत को उनकी जमीनों पर आक्रमण करके निर्वासन के खिलाफ शरण देने की मांग कर रहे थे? पारसी और यहूदियों के उदाहरण हिंदू मानस के मूल के अत्यधिक निर्देश हैं। भारत विविध धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का एक बर्तन है। पुरातनता से, वह विभिन्न मान्यताओं के लिए ग्रहणशील रही है और देशी द्रविड़ों और हमलावर आर्यों दोनों का पोषण किया है। यहां तक कि तातार, तुर्क, मोगल और यूरोपीय लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ हस्तक्षेप करके भूमि में अपनी छाप छोड़ी। मूल निवासियों और विदेशी तत्वों की संस्कृति के सम्मिश्रण से समग्र संस्कृति का विकास हुआ और न कि किसी भी धार्मिक संस्कृति का विकास हुआ।

उप-महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति ने एकता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में भी काम किया है। विषम समूहों से भारत के लोग स्पष्ट रूप से एक सजातीय पहचान बनाने के लिए सामान्य रूप से कम थे। वे भौतिक विज्ञान के साथ-साथ विचारधारा और संस्कृति में भिन्न थे! जाति व्यवस्था पर स्थापित सामाजिक व्यवस्था ने उन्हें जाति-डिब्बे में रहने के लिए मजबूर किया। प्रत्येक मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, और विहार का अपने विश्वासियों को प्रेरित करने का अपना स्थान था। कभी-कभी, प्रत्येक संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों ने कुछ मूल्यों को साझा किया, लेकिन बहुत बार अलग-अलग। इसका परिणाम कुछ समूहों के संघर्ष, अलगाव और अधीनता के रूप में सामने आया। इसने वर्गों, जातियों और वर्ग युद्धों और जाति संघर्षों को जन्म दिया। कार्ल मार्क्स के हुक्म से पहले कि कपबज लोगों के लिए धर्म अफीम है ' , पूरी दुनिया विभिन्न धर्मों के प्रभुत्व के अधीन थी। भारत के कुछ लोगों के लिए धर्म था और अब पवित्र और अन्य सभी चीजों से ऊपर है। धर्म को उपयुक्त रूप से हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा वर्णित किया गया है,

वह मातम जो हर जगह इतिहास का ताना-बाना पार करता है। यह हर समाज का सच है। लेकिन धर्म ने न केवल भारतीय इतिहास का ताना-बाना हर जगह पार कर लिया है, बल्कि यह हिंदू मन का ताना-बाना भी है। 1 केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों के भी मनुष्य और ईश्वर के साथ-साथ मनुष्य और मनुष्य के बीच के सामाजिक संबंध को खत्म करने वाले पवित्र कोड हैं। विभिन्न धर्मों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों के साथ, उन्होंने सत्य को सेट रूपों और हठधर्मिता में कैद करने की कोशिश की है और समारोह और प्रथाओं को प्रोत्साहित किया है जो जल्द ही अपने सभी मूल अर्थों को खो देते हैं और मात्र दिनचर्या बन जाते हैं। मनुष्य पर विस्मयकारी और अज्ञात के रहस्य को प्रभावित करते हुए जो उसे (मानव) को चारों ओर से घेरे हुए है, उन्होंने उसे न केवल अज्ञात को समझने की कोशिश करने से हतोत्साहित किया है कि सामाजिक त्रुटि के रास्ते में क्या आ सकता है। जिज्ञासा और विचार को प्रोत्साहित करने के बजाय, उन्होंने प्रकृति को प्रस्तुत करने के लिए, चर्चों की स्थापना के लिए, प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के लिए, और हर चीज के लिए एक दर्शन का उपदेश दिया है। एक अलौकिक एजेंसी में विश्वास, जो सब कुछ करता है, ने सामाजिक विमान पर कुछ गैर-जिम्मेदारता को जन्म दिया है, और भावना और भावुकता ने तर्क और विचार की जगह ले ली है। "इस उप-महाद्वीप में 2 धर्म भी तर्कहीनता के लिए एक टोस आधार है।, अंधविश्वासी समाज, विज्ञान और विकास के लिए दरवाजे बंद करना, अंधविश्वासी समाज, विज्ञान और विकास के लिए दरवाजे बंद करना, तर्क और कारण भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन में, अर्थात् श्वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना। 3 भारत की घटनाओं की एक श्रृंखला के ऐतिहासिक परिणाम के रूप में भारत का उत्पाद रहा है, भारत के संविधान की शुरुआत से पहले कभी भी अस्तित्व में नहीं था। नवोदित राज्य, भारत यानी, भारत 26 जनवरी 1950 को संप्रभु गणराज्यों के परिवार में शामिल हो गया। स्वतंत्रता पर भारत के लोग हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी और अन्य लोगों का गठन करते हुए राष्ट्र-निर्माण में एकजुट होने के लिए सहमत हुए। उनके ऐतिहासिक मतभेदों के बावजूद। भारत के संविधान की सामग्री काफी हद तक अतीत में स्थापित की गई है।



सभी ने दावा किया कि यह हमारा घर है, हम इसकी गरिमा को बनाए रखेंगे और इसे सार्वभौमिक मानवतावाद के लिए प्रतिबद्ध एक टोस निराधार राष्ट्र के रूप में गौरव के साथ कहेंगे। ऐतिहासिक घटनाएँ, सांस्कृतिक लोकाचार, लोगों की आकांक्षाएँ और हजारों निर्दोष लोगों की हत्या विभाजन के दौरान लोगों ने संविधान निर्माताओं के दिमाग का मार्गदर्शन किया। सभी लोगों को संयुक्त विधानसभा में संयुक्त ज्ञान को स्वीकार करने और भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार करने और एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में घोषित करने के लिए, अभिव्यक्ति धर्मनिरपेक्ष का उपयोग किए बिना, संविधान के शरीर में कहीं भी।

प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्षता और धर्म

प्राचीन भारतीय राजनीति और इसकी उपलब्धियों के अपने सामान्य सर्वेक्षण और अनुमान में, प्रोफेसर जे जे अंजारिया ने निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन भारत में बहुवचन के बहुवचन रूप थे। उन्होंने देखा कि प्राचीन काल में भारत में कई प्रकार के राज्य जैसे गणतंत्र, कुलीन वर्ग, राजशाही और राजतंत्र प्रचलित थे, लेकिन अंततः राजतंत्र दिन का क्रम बन गया। यह घटना प्राचीन भारत के लिए अजीब नहीं थीय यह प्राचीन यूरोप में भी दोहराया जाता है, जहां हम ग्रीस और इटली में गणराज्यों को धीरे-धीरे राजशाही और साम्राज्यों द्वारा दबाए जा रहे हैं। 4 धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, यह माना जाता है कि पूर्व में किए गए ऐतिहासिक विकास के सर्वेक्षण से पर्याप्त स्पष्टता के साथ उभरा है। धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि पिछले अध्याय में देखा गया है, केवल राज्य और धर्म को अलग नहीं करती है।

धर्मनिरपेक्षता की एक समग्र अवधारणा में धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, नागरिकता की एक लोकतांत्रिक अवधारणा, समानता, धार्मिक विचारों की परवाह किए बिना मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा जैसे कई अन्य घटक शामिल होंगे। यह धर्मनिरपेक्षता की ऐसी व्याख्या के आधार पर है कि इस बिंदु पर भारत में धर्मनिरपेक्षता की ऐतिहासिक सेटिंग की जांच की जाती है। विचार के एक स्कूल का तर्क है कि भारत के अतीत में धर्मनिरपेक्षता की जड़ों की तलाश करना निरर्थक है क्योंकि पूरे भारतीय इतिहास, धर्म और राज्य में आंतरिक रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विश्लेषण से पता चलेगा कि यह एक जटिल घटना का सूत्रीकरण भी है। भारत के ऐतिहासिक लोकाचार में कुछ कारकों की पहचान की जा सकती है जो कुछ हद तक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था को इंगित करते हैं। तदनुसार, यह अध्याय राज्य को ऐतिहासिक संदर्भ में जांचने के लिए शुद्ध करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के ऐतिहासिक आधार में यह लघु भ्रमण धर्मनिरपेक्षता के वर्तमान परिदृश्य को समझने के लिए महत्व को मानता है। प्राचीन भारतीय राज्य की विशेषता थी धर्म और राजनीति का एक जटिल अंतर्संबंध और धार्मिकता और धार्मिक स्वतंत्रता। जहां तक राज्य और धर्म के संस्थागत अलगाव का संबंध है, यह निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय राज्य में नहीं था, जो कि एक स्पष्ट धार्मिक अभिविन्यास की विशेषता थी। धर्म का सक्रिय प्रचार और संरक्षण इसके प्रमुख कार्यों में से एक था।

धर्म राज्य का आधार था। धर्म, यह इंगित किया जा सकता है, धर्म की तुलना में बहुत व्यापक अवधारणा थी। धर्म केवल धर्म का एक हिस्सा है, जिसमें कानून, नैतिकता, पवित्रता, कर्तव्य पुण्य आदि शामिल हैं, ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन काल के धर्मग्रंथ धर्म और राज्य के बीच टकराव को दर्शाते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा नहीं था जैसा कि पश्चिम में देखा गया था। ऐतरेय ब्राह्मण और गौतम धर्म सूत्र जैसे ग्रंथ, राजा की अधीनस्थ स्थिति पर जोर देते हैं और ब्राह्मण को कर से छूट के साथ-साथ मृत्युदंड की सजा भी देते हैं और पुरोहित अधिकार के सामने न झुकने पर राजा को चेतावनी देते हैं कि पुजारी अधिकार के सामने झुकना नहीं 5 अन्य ग्रंथों में अवधि जैसे कि ततिरिया ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद। हालांकि, पुजारियों से परिजनों की स्वतंत्रता का दावा किया जाता है। 6 धर्म और राज्य के बीच संघर्ष में बल की कमी थी, क्योंकि पश्चिम में जैसा कि कोई संचालक सनकी संगठन नहीं था, जो प्रभावी रूप से हो सकता था। राज्य के अधिकार को चुनौती देना। एक ही समय में, यह बताने के लिए थोड़ा सा सबूत है कि धार्मिक प्राधिकरण ने राजा की शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास किया। इस अवधि में सामूहिक स्तर पर धार्मिक संघर्षों से रहित नहीं है। रोमिला थापर गोरे शैव और बौद्धों के बीच शत्रुता का जिक्र करते हुए हुसैन त्सांग और कल्हण। पुजारियों का प्रभाव भी 4 ग के आसपास कुछ कम हुआ वैदिक अनुष्ठान के महत्व के लिए ई.पू. में प्रवेश किया और बलिदानों में गिरावट आई। एस आबिद हुसैन बताते हैं कि "धार्मिक और सामाजिक जीवन पर उनके प्रभाव

के साथ, ब्राह्मणों का प्रशासन या सरकार में बहुत कम हाथ था। पुरोहितों के रूप में उनका मुख्य कर्तव्य धार्मिक संस्कारों का पालन करना था। इसलिए हिंदू राज्य अभी भी इस अर्थ में एक धार्मिक राज्य है कि हिंदू धर्म को संरक्षण देना और धार्मिक कानूनों को लागू करना उसका कर्तव्य था, पुजारी जाति के हस्तक्षेप से व्यावहारिक रूप से मुक्त था और इसके धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। राजाओं के देवत्व के सिद्धांत द्वारा पुजारियों के अधिकार की भी जाँच की गई थी।

गुप्त काल के शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति की घोषणा की, लेकिन धर्म पर शाही नियंत्रण भी बढ़ाया।¹⁶ गुप्त सम्राटों ने ब्राह्मणवाद को बरकरार रखा और उसी समय बौद्ध धर्म का समर्थन किया। उन्होंने अन्य धार्मिक संप्रदायों को भी स्वतंत्रता दी। इस अवधि के धार्मिक ग्रंथों ने भी, असमानता और धार्मिक स्वतंत्रता के आदर्श को स्पष्ट रूप से घोषित किया। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद का प्रस्ताव है (एकम सत विप्रा बाहुदा वेदांती— सत्य एक हैय सीखा हुआ वर्णन इसका विभिन्न प्रकार से वर्णन कर सकता है)। इसके अलावा, "दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के साथ करेंगे। सभी जीवित प्राणियों को अपने दोस्तों के रूप में देखें, क्योंकि उन सभी में एक आत्मा का वास होता है। सभी उस सार्वभौमिक आत्मा का हिस्सा हैं।" और फिर, एकवय मानुषी जाति (सभी मानव जाति एक जाति के हैं)। भगवद गीता घोषणा करती है, "जिस तरह से पुरुष मेरे साथ पहचान करते हैं, उसी तरह मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ पुरुष मेरे मार्ग का पालन करते हैं, पार्थ, सभी तरह से।" इसके अलावा, "जो भी भक्त आस्था के साथ किसी भी रूप में पूजा करना चाहता है, मैं उस विश्वास को स्थिर बनाता हूँ।

**यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥**



कुल मिलाकर, प्राचीन भारतीय राज्य न तो धर्मनिरपेक्ष था और न ही धर्म निरपेक्ष। पश्चिमी राज्यों में धर्म के रूप में राज्य का प्रभुत्व कभी नहीं था, शायद इसलिए कि पश्चिम में चर्च जैसी स्थापित धार्मिक संस्था कभी नहीं थी। लौकिक अधिकार को धारण करने वाले राजा और आध्यात्मिक अधिकार को धारण करने वाले पुजारी का कार्य स्पष्ट रूप से अलग और विशिष्ट था, हालांकि भेद स्वयं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था, जैसे कि जाति की श्रद्धेय रूप से व्यवस्थित प्रणाली। राज्य और धर्म के बीच घनिष्ठ संबंध था, लेकिन धर्म को व्यापक संदर्भ में समझा जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अस्तित्व था और किसी का कोई अधिपत्य नहीं था। लोगों पर विशेष रूप से पंथ। विभिन्न धर्मों को उनके शिक्षण का प्रचार करने की अनुमति दी गई और सभी को संरक्षण दिया गया। यह अशोक के रॉक एडिट में दर्शाया गया है, जो घोषणा करता है, जो अपने स्वयं के धर्म के बारे में श्रद्धा रखता है और अन्य सभी धार्मिकों पर गौरव करता है, वह

अपने स्वयं के धर्म को सबसे निश्चित रूप से घायल करता है।¹⁶ और ईसाई धर्म भारत में फैल गया था और इन धर्मों को मानने वाले लोगों का उत्पीड़न नहीं हुआ था। इस प्रकार, जबकि धर्म और राज्य का संस्थागत अलगाव गैर-मौजूद था, फिर भी धर्म और अलगाव की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता के दो प्रमुख घटक, प्राचीन भारतीय राज्य में स्पष्ट रूप से स्पष्ट थे।

मध्ययुगीन काल के दौरान धर्म और राज्य के बीच घनिष्ठ संबंध का चलन, व्यापक नीति के साथ जुड़ा रहा। दिल्ली सल्तनत की अवधि के दौरान, राज्य इस मायने में इस्लामी था कि इस्लामी कानून के खुले उल्लंघन की अनुमति नहीं थी। उच्च पदों पर मुस्लिम दिव्यांगों की नियुक्ति की गई। लेकिन साथ ही, धर्मशास्त्री को राज्य की नीतियों को निर्धारित करने की अनुमति नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि "नीति और सरकार एक चीज है, और इस्लामी कानून के नियम और फरमान एक और हैं। शाही आदेश सुल्तान के हैं, काजी और मुफ्ती के फैसले पर इस्लामिक कानून बाकी है।"²⁰ इस अवधि के दौरान, जैसा कि भारतीय इतिहास के अन्य समयों में, धार्मिक ढांचे को नहीं बिगाड़ने में राजनीतिक विचारों द्वारा निर्देशित किया गया था। व्यापक प्रसार की नीति का आम तौर पर पालन किया जाता था, हालांकि कभी-कभार ही नुकसान होता था। तदनुसार, ब्राह्मणों को जजिया के भुगतान से छूट दी गई थी, हालांकि फिरोज तुगलक ने इस छूट को हटा दिया था। शांति के समय में नीति ने हिंदुओं को खुले तौर पर अपने धर्म का अभ्यास करने की अनुमति दी, लेकिन युद्ध के समय में नहीं। अन्य धर्मों का अस्तित्व बना रहा और यहां तक कि समृद्ध भी। यह इस अवधि के दौरान सूफी और भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ। लगता है कि दोनों आंदोलनों के रहस्यवादी और संत एक-दूसरे से प्रभावित हैं। कबीर, चौतन्य और नानक जैसे संतों ने सभी धार्मिकों की आवश्यक एकता पर जोर दिया। इसने एक उदार लोकाचार के विकास के लिए माहौल बनाया। यहां तक कि शुरुआती मुस्लिम शासकों जैसे कि खिलजी और फिरोज तुगलक ने सम्मान और सम्मान के साथ हिंदू धार्मिक नेता प्राप्त किए।

निष्कर्ष

शोधकर्ता का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय समाज और कानून के लिए प्रतियोगिता के साथ धर्मनिरपेक्षता का हालिया परिदृश्य प्रदान करना है। हालांकि, शोधकर्ता ने धर्मनिरपेक्षता के कुछ अन्य प्रासंगिक कारकों का उल्लेख किया जैसे, राजनीतिक, धार्मिक, मानवविज्ञानी और शैक्षणिक कारक। यहां शोधकर्ता भारत के संविधान के प्रतियोगिताओं के साथ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और गुंजाइश चाहता है। औपनिवेशिक देशों के कानून के इतिहास में लंबे समय से रुचि और कानून के साथ भारतीय राजनीति का टकराव और लॉ, ऑर्डर एंड सोसाइटी की स्थिति, स्वतंत्रता भारत के पहले और बाद में, शोधकर्ता इस ज्वलंत विषय पर आता है। भारत, इस ग्रह के सबसे रंगीन कानून इतिहासों में से एक को प्रस्तुत करता है। भारत, धार्मिक, परंपरा, भाषाओं, धार्मिक पवित्र पुस्तक, धार्मिक पवित्र स्थानों और भारत के परमाणु केंद्रों के साथ अंतर है। शोधकर्ता यह जानना चाहते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की वास्तविक स्थिति क्या थी? भारतीय संविधान में संशोधन करके सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा गया? 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 से पहले हम क्या धर्मनिरपेक्ष नहीं थे? ये समस्याएं हमेशा शोधकर्ता को वहां आने के लिए विवश कर रही थीं। शोधकर्ता ने अब तक, विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय विधायी और धर्मनिरपेक्षता और भारतीय कार्यपालिका के संदर्भ में, धर्मनिरपेक्षता पर शोध करने की पूरी कोशिश की है। हम भारत के लोग, इस

वाक्य को भारतीय संविधान के दर्शन की घोषणा कर रहे हैं, कि भारत, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इन सभी चरित्रों का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है।

संदर्भ

1. स्मिथ यूजीन डोनाल्ड, (1967), भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, प्रिंसटन, यूएसए, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय।
2. सिंह करन, (1993), हिंदू धर्म पर निबंध, नई दिल्ली, और रत्नसागर प्रकाशन, पीपी .99-101
3. सैंडल जे। माइकल, धार्मिक स्वतंत्रतारु स्वतंत्रता की पसंद की स्वतंत्रता, भार्गव राजीव एड में। (1998), धर्मनिरपेक्षता और इसके आलोचक, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस प्रकाशन, पीपी। 75-77
4. इबिड पीपी 10.10-103
5. जिंगराम सारल, (1995), भारत में धर्मनिरपेक्षता, ए रीपैरिसल, नई दिल्ली, हर आनंद प्रकाशन, पीपी .३६-३ (
6. भार्गव राजीव, परिचय, भार्गव राजीव एड में। (1998), धर्मनिरपेक्षता और इसके आलोचक, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस प्रकाशन, पृष्ठ 24
7. पड़पक पीपी 10-15
8. डोनाल्ड यूजीन स्मिथ, (1967), भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, प्रिंसटन, यूएसए, पेनसिल्वेनिया प्रकाशन विश्वविद्यालय, पीपी। 8-
9. पड़पक पीपी.16-17
10. घोष एसके, (2000), भारत में धर्मनिरपेक्षताय द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, नई दिल्ली, एपीएच पब। निगम, पीपी। , -।
11. भार्गव राजीव एड में गैलेन्टर मार्क, धर्मनिरपेक्षता, पूर्व और पूर्व। (1998), धर्मनिरपेक्षता और इसके आलोचक, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस प्रकाशन, पृष्ठ.238

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments /updates, I have resubmitted the paper for publishing on the same date. If any data or information given by me is not correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/ Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving Lisence/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher, and my paper may be rejected or removed from the website. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that initially I have personally (not through email) or through any reliable person I have submitted my paper for publication If publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against the author.

नेहा पूनिया

डॉ० जुलफी कार